न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती सीता शर्मा, आर.ए.एस.

वाद संख्या:– 01/2018 **दायरा दिनांक:– 03.01.2018**

UCMS No. :- 2018/00059

–: अनवान :–

सहीराम पुत्र नारायण जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

......वादी

बनाम

1. पतराम
2. कृष्णलाल
3. सन्तोदेवी
4. विद्यादेवी
5. लिछमादेवी

} पुत्रगण व पुत्रीयां नारायण जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

6. देवीलाल पुत्र नारायण जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान (मृतक) :–

6/1. शान्तिदेवी पत्नी देवीलाल
6/2. बलवन्त पुत्र देवीलाल
6/3. शरबती पुत्री देवीलाल
6/4. मन्जूदेवी पुत्री देवीलाल
6/5. सावित्री पुत्री देवीलाल
6/6. सुमन पुत्री देवीलाल
6/7. पुजा पुत्री देवीलाल
6/8. कलावती पुत्री देवीलाल

} जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

6/9. सुरस्वती पुत्री देवीलाल (मृतक) :–

6/9/1. पवन पुत्र सुरस्वती पत्नी सुलतान
6/9/1. अंग्रेज पुत्र सुरस्वती पत्नी सुलतान

} जाति मेघवाल निवासी पडिंतावाली तह. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राज.।

7. मुखराम पुत्र नारायण जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान (मृतक) :–

7/1. शारदा पत्नी मुखराम
7/2. श्योपत पुत्र मुखराम
7/3. सीमा पुत्री मुखराम
7/4. सन्दीप पुत्री मुखराम

} जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

8. मु0 सुगनादेवी बेवा नारायण जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:45:37 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 01/2018)

उपस्थितः–

1. श्री विनोद कुमार बिश्नोई, अधिवक्ता, वादी
2. पैरोकार राज सूरतगढ़।

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 07.06.2024

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस सुनी गई। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के पिता / पति / दादा / नाना/ससुर नारायण पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली के नाम से तहसील सूरतगढ़ की रोही हरदासवाली के खसरा नम्बर 124 में 4.04 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर उनके जीवनकाल में उनके कब्जा काश्त में चली आ रही थी तथा उनके स्वर्गवास होने के बाद से लगातार उनके वारिसो वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के कब्जा काश्त में चली आ रही हैं। वादी के पिता स्व. नारायण पुत्र छोगाराम के नाम की जैरवाद भूमि पूर्व में उनके भाई आसाराम पुत्र छोगाराम व मनीराम पुत्र मामराज के साथ संयुक्त खाते में रोही हरदासवाली के खसरा नम्बर 124 में 9.17 बीघा, खसरा नम्बर 145 में 2.13 बीघा कुल 12.10 बीघा बारानी दर्ज था जिसका खाता विभाजन दिनांक 03.06.1992 को तहसीलदार सूरतगढ़ के द्वारा आपसी सहमती से कर दिया था जिसके अनुसार वादी के पिता स्व0 नारायण पुत्र छोगाराम के नाम से खसरा नम्बर 124 में 4.04 बीघा दर्ज हुआ। उक्त वर्णित रकबा रोही हरदासवाली से चकबन्दी में चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. में पैमूद हो चुका हैं। चकबन्दी में पैमूद होने के पश्चात् उक्त रकबा चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. के पत्थर नम्बर 233/60 के किला नम्बर 1–2–9–10 में 4.00 बीघा में फिट हुआ तथा इन्ही किलो पर स्व. नारायण के वारिसो का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। रोही हरदासवाली से चकबन्दी बनने पर वादी के पिता स्व. नारायण पुत्र छोगाराम के नाम के जैरवाद खातेदारी रकबा को कहीं भी फिट नहीं किया गया तथा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के कब्जा काश्त के रकबा चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. के पत्थर नम्बर 233/60 के किला नम्बर 1–2–9–10 में 4.00 बीघा को आराजी राज दर्ज कर दिया गया। जिससे वादी एवं प्रतिवादीगण का खातेदारी रकबा होन के बावजूद अपने खातेदारी हको से वंचित हो गये है। वादी एवं प्रतिवादीगण स्व. नारायण पुत्र छोगाराम के विरासतन उतराधिकारी होने के नाते उक्त वर्णित रकबा के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के हकदार हो[illegible] हैं। जैरवाद रकबा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के जीवन यापन का आधार है तथा जैरवाद रकबा को कड़ी मेहनत करके व भारी खर्चा लगाकर सुधार कर काबिल काश्त किया हैं। जैरवाद रकबा को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के रकबा राज दर्ज कर दिया जो कि गैरकानूनी हैं। एक खातेदार काश्तकार का रकबा इस प्रकार से रकबा राज दर्ज करना कतई गैरकानूनी हैं। वादी का जैरवाद रकबा जो कब्जा काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:45:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 01 / 2018)

में चला आ रहा है, वो चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. के पत्थर नम्बर 233 / 60 के किला नम्बर 1–2–9–10 में 4.00 बीघा का वर्तमान में आराजी राज दर्ज है और आराजी राज दर्ज होने से अन्य व्यक्ति उसको आवंटन करवा सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 अपने हको से मरहूम हो जायेगें। वरवक्त फिटिंग वादी के पिता स्व. नारायण पुत्र छोगाराम के नाम के खसरा व कब्जा काश्त की जाँच नहीं की गई और गलत फिटिंग करके गैरकानूनी रुप से वादी के पिता स्व. नारायण पुत्र छोगाराम के नाम की खातेदारी भूमि को रकबा राज दर्ज कर दिया गया। वादी ने दिनांक 20.11.2017 को प्रतिवादी संख्या 9 तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ से अपने खातेदारी रकबा को मुताबिक कब्जा काश्त के दुरुस्ती बाबत निवेदन किया तो वे भी स्पष्ट इन्कार हो गये तथा कहा कि दावा करके अपने नाम से किले घोषित करवा लो, मै तो रकबा राज दर्ज होने के कारण वादी के के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही करूंगा। बस यह इन्कारी व धमकी ही वाद प्रस्तुत करने का मुख्य कारण है। अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र अनुतोष क ता घ अनुसार डिक्री किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 बावजूद तामील हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। पैरोकार राज की तरफ से जवाब स्टेट प्रस्तुत किया गया। वादी ने स्वंय उपस्थित होकर अपने वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया व स्टेट की तरफ से कोई जिरह नहीं की गई व वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में जैरवाद भूमि के चिपते हुए काश्तकारों गोपीचन्द व भानीराम के शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपने दावे में दर्ज तथ्यों को साबित करने का प्रयास किया हैं। स्टेट की तरफ से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

बहस सुनी गई। वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस की कि वादी का पिता नारायण पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ की रोही हरदासवाली के खसरा नम्बर 124 में 4.04 बीघा का खातेदार काश्तकार था। उक्त रकबा चकबंदी में पैमूद होने पर वादी के पिता के नाम का उक्त रकबा चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. के पत्थर नम्बर 233 / 60 के किला नम्बर 1, 2, 9, 10 की 4.00 बीघा भूमि में फिट हो गया परन्तु यह रकबा वादी के पिता के नाम से खातेदारी नहीं दर्ज करके रकबा राज के खाते में दर्ज कर दिया तथा वादी के पिता नारायण पुत्र छोगाराम का नाम ही जमाबंदी से हटा दिया। इस प्रकार एक खातेदार काश्तकार को उसके कब्जा काश्त की भूमि को चकबंदी में फिट करके रकबा राज दर्ज कर दिया जो कतई उचित नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न नोटिफिकेशनों में इस प्रकार के प्रकरण में कब्जा काश्त अनुसार एक काश्तकार के रिकार्ड को दुरूस्त करने का निर्देश दिया गया हैं। वादी के पिता नारायण पुत्र छोगाराम के नाम की जैरवाद भूमि पुरानी वादी के दादा की खातेदारी भूमि थी जो विरासतन वादी के पिता को प्राप्त हुई थी और जहां पर शुरू से कब्जा था वहां पर ही आज दिनांक तक कब्जा चला

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:45:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 01/2018)

आ रहा हैं, अब मात्र इस आधार पर एक खातेदार को अपने हको से वंचित नहीं किया जा सकता कि उक्त रकबा प्रार्थी के खसरा से पैमूद नहीं हुआ हैं। इसलिए जैरवाद भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश पारित करते हुए वादी का वाद पत्र बहक वादी डिक्री किया जावे।

विद्वान पैरोकार ने स्टेट के हितो को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र निर्णीत करने का निवेदन किया हैं।

उभय पक्षकारान की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन करने के उपरान्त यह साबित होता हैं कि वादी का पिता नारायण पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ की रोही हरदासवाली के खसरा नम्बर 124 की 4.04 बीघा भूमि का खातेदार था। रोही हरदासवाली चकबंदी में पैमूद हो चुकी हैं। वादी के पिता नारायण पुत्र छोगाराम का नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं हैं तथा वादी के पिता का उक्त वर्णित जैरवाद रकबा चकबंदी में चक 1 एच.डब्ल्यु.डी. के पत्थर नम्बर 233/60(61) के किला नम्बर 1, 2, 9, 10 में पैमूद हो चुका हैं जो वर्तमान रिकार्ड अनुसार रकबा राज के खाते में दर्ज है। इस प्रकार वादी के पिता की जैरवाद खातेदारी भूमि को रकबा राज कर दिया गया जो इसलिए कर दिया हैं कि जैरवाद रकबा जो वादी के कब्जा काश्त में हैं वो खसरा नम्बर 124 से नहीं बना हैं। पत्रावली में प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट अनुसार वादी का कब्जा काश्त चक 1 एच.डब्ल्यु.डी. के पत्थर नम्बर 233/60 के किला नम्बर 1, 2, 9, 10. की 4.00 बीघा भूमि पर चला आ रहा हैं। इस प्रकार जितना रकबा रोही हरदासवाली में वादी के पिता का था उतना ही रकबा चकबंदी में कब्जा काश्त में चला आ रहा हैं। इस प्रकार चकबंदी में पैमूद होने पर मात्र खसरा नम्बर भिन्न होने के आधार पर एक खातेदार को उसके हको से वंचित नहीं किया जा सकता हैं। इसलिए वाद पत्र वादी का आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं चूंकि तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा वारिसान की जांच उपरान्त ही विरासतन इन्तकाल दर्ज किया जा सकेगा।

अतः वाद पत्र वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जाता हैं कि तहसील सूरतगढ़ के चक 1 एच.डब्ल्यु.डी. के पत्थर नम्बर 233/60(मु.न. 61) के किला नम्बर 1, 2, 9, 10 =1.012 हैक्टेयर अनकमाण्ड (4.00 बीघा) भूमि का वादी के पिता नारायण पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली को खातेदार घोषित किया जाता हैं। उक्त रकबा आराजी राज के खाते में से कम किया जाकर वादी के पिता नारायण पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली के नाम से बतौर खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमलदरामद करें। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुदा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.20.. को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:45:37 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीमती सीता शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – श्रीमती सीता शर्मा, आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

सहीराम पुत्र नारायण जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

......वादी

बनाम

1. पतराम
2. कृष्णलाल
3. सन्तोदेवी
4. विद्यादेवी
5. लिछमादेवी

} पुत्रगण व पुत्रीयां नारायण जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

6. देवीलाल पुत्र नारायण जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान (मृतक) :–

6/1. शान्तिदेवी पत्नी देवीलाल
6/2. बलवन्त पुत्र देवीलाल
6/3. शरबती पुत्री देवीलाल
6/4. मन्जूदेवी पुत्री देवीलाल
6/5. सावित्री पुत्री देवीलाल
6/6. सुमन पुत्री देवीलाल
6/7. पुजा पुत्री देवीलाल
6/8. कलावती पुत्री देवीलाल

} जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

6/9. सुरस्वती पुत्री देवीलाल (मृतक) :–

6/9/1. पवन पुत्र सुरस्वती पत्नी सुलतान
6/9/1. अंग्रेज पुत्र सुरस्वती पत्नी सुलतान

} जाति मेघवाल निवासी पडिंतावाली तह. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राज.।

7. मुखराम पुत्र नारायण जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान (मृतक) :–

7/1. शारदा पत्नी मुखराम
7/2. श्योपत पुत्र मुखराम
7/3. सीमा पुत्री मुखराम
7/4. सन्दीप पुत्री मुखराम

} जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

8. मु0 सुगनादेवी बेवा नारायण जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान(मृतक)।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़ राजस्थान।

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:45:37 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न.

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

1 वर्ष 2018 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री विनोद कुमार बिश्नोई व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जाता हैं कि तहसील सूरतगढ़ के चक 1 एच.डब्ल्यु.डी. के पत्थर नम्बर 233/60(मु.न. 61) के किला नम्बर 1, 2, 9, 10 =1.012 हैक्टेयर अनकमाण्ड(4.00 बीघा) भूमि का वादी के पिता नारायण पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली को खातेदार घोषित किया जाता हैं। उक्त रकबा आराजी राज के खाते में से कम किया जाकर वादी के पिता नारायण पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली के नाम से बतौर खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमलदरामद करें।

नोज.......... × .... मुबलिग.........× .... बाबत..........×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ...... × .... फरदो की पालना ...... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 07.06.2024 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(श्रीमती सीता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:45:37 IST
Reason: SelfAttested